

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक डलकथ एंव S.O.O मुकाम वायतु

इमाम बनाम जेगायु वरु

किस्म मुकदमा रज आवे 111,128 MRAET नं. 200/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/07/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>कुम्भसिंह चौधरी</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 MRAET</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>04/08/2021</u> को पेश हो।	
04/08/2021	<u>सहायक कलक्टर (SDO) वायतु</u> प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्राथीगिणे के नोटिस तामील अदम तामील इमाम/ श्रीमान प्रीगामी डाइकरी का पद रिक्त होने से मिशाल होलवा होकर आगामी दिनांक <u>07/09/2021</u> को पेश हो।	
07/09/21	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्राथीगिणे के नोटिस तामील अदम तामील इमाम/ इन्जार होकर पत्रावली दिनांक <u>02/10/2021</u> को पेश हो।	

सहायक कलक्टर (SDO) वायतु



02/10/2021

पत्रावली आज कम्प कोर शाम 5:30

बापतु शोपनी में रखी गई प्रार्थी वकील उपस्थित।
 विप्राथीगणों के नोटिस तामिल डायम तामिल डायम /
 प्रार्थी के डाखिवगता की एकपत्रीय बहस सुनी गई,
 प्रार्थी के डाखिवगता द्वारा बापता की प्रार्थी व विप्राथी-
 गणों के खातेदारी भूमि सेठा सेठ आई हुई हैं।
 प्रार्थी व विप्राथीगणों के खातेदारी खेत सेठा-सेठ
 आये हुए हैं। प्रार्थी व विप्राथीगणों के सेठों के मध्य
 जो पुरानी मोठे व कणे आये हुए हैं जो वर्तमान में
 आंध्रियों की वजह से बिस्वर गये हैं। जिससे प्रार्थी व
 विप्राथीगणों के मध्य हमेशा खेत के सेठों को लेकर
 तनाव बना रहता है। प्रार्थी को अपने सेठ के सेठों
 का सही ज्ञान कृपे हेतु नेखमवदी कवारी आवरणक हो
 रसलिक नेखमवदी कवारी आवरणक हो रसलिक नेखमवदी
 आवेदन स्वीकार, किमा जाकर नेखमवदी आवेदन स्वीकार
 किमा जाकर नेखमवदी आदेश किमा जावे।

अतः प्रार्थी का नेखमवदी आवेदन स्वीकार किमा
 जाकर तहसीलदार बापतु को कमिशनर व सम्बन्धित
 शु. अमिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर व सम्बन्धित
 निपुण किमा जाकर आदेश किमा जाता है कि आप स्वयं या
 सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्रकी
 नेखमवदी माँके पर कमिशनर शु.क जमा करवा लेगे पत्रों के
 स्वरु में। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो।
 पत्रावली फासल शुमार करके दस नम्बर से कम हो, दखिल रफ्त
 हो।


 सहायक कमिशनर
 (SDC)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट, बायतु भोपजी)**

कमांक/कैम्प कोर्ट/बायतु भोपजी/2021/1250
प्रार्थी बनाम

दिनांक:-02/10/2021
विप्रार्थीगण

1. हेमाराम पुत्र सोनाराम
जाति राईका निवासी बायतु भोपजी
तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. जेताराम पुत्र आदूराम वगैरा जाति राईका
निवासी नौसर तहसील बायतु जिला बाड़मेर
वगैरा 36
(विप्रार्थीगणों की सूची संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958

राजस्व आवेदन संख्या 200/2021

आदेश

मौजा बायतु भोपजी पटवार मण्डल बायतु भोपजी भू अभिलेख निरीक्षक बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1012/351 रकबा 1.2540 हैक्टयेर किस्म बारानी सोयम की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर व सम्बन्धित भु. अ. नि. को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



कमांक/कैम्प कोर्ट/बायतु भोपजी/2021/1251 to 55
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हेमाराम पुत्र सोनाराम
4. विप्रार्थी श्री हेमाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 36
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:-02/10/2021

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु